National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 10-09-2025, Accepted: 10-10-2025, Published: 25-10-2025
Volume 10, Issue 4, 2025, Page No. 6-9

ग्रामीण क्षेत्रों का बहुआयामी विकास, मनरेगा के सन्दर्भ में

धीरज व्यास[1], डॉ. विक्रम सिंह चुण्डावत[2]

[1] शोधार्थी, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य संकाय माणिक्य लाल वर्मा, श्रमजीवी कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

[2] सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य संकाय माणिक्य लाल वर्मा, श्रमजीवी कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे 2005 में लागू किया गया, भारत की सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका की गारंटी प्रदान करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह शोध–पत्र मनरेगा के क्रियान्वयन और इसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे ग्रामीण अवसंरचना का विकास, पलायन में कमी और महिला भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार, तथा वेतन भुगतान में विलंब जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, फिर भी यह योजना गांधीजी के ग्राम स्वराज एवं आत्मनिर्भरता के विचार को साकार करने की दिशा में प्रभावी कदम है। प्रभावी शासन, तकनीकी हस्तक्षेप एवं सामुदायिक भागीदारी से इसके परिणामों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

मूल शब्दः मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास

परिचय

आज देश वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं के बीच में से गुजर रहा है। इन प्रक्रियाओं का अत्यधिक लाभ शहरों ने लिया है। ग्राम उपेक्षित दौर से गुजर रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार, विभिन्न ऐजेन्सियों एवं राज्य सरकारों की रूचि के बाद गांवों में कई कार्यक्रमों द्वारा विकास एवं उन्नति हुई है। अब प्रभावी मॉनीटरिंग का यह परिणाम दिख रहा है कि बडी तादात मे सरकारी कर्मचारी गांवों में प्रवेश करने लगे। इससे पहले गांवों में यदि कोई सरकारी कर्मचारी था तो वह पटवारी था, पुलिस का सिपाही या जंगल का गार्ड पता लगाना मुश्किल था। परन्तु अब स्थिति कुछ अलग एवं प्रभावी है। पुरूष व स्त्री बराबर हक से अपना–अपना कार्य सम्पादित करते है। कुछ अर्थशास्त्रीयों एवं समाज शास्त्रियों ने समाज का निर्माण की प्रक्रिया को गांवों के विकास के साथ जोड़ा। जब तक गांव सुदृढ़ रहेगा समाज उतना ही मजबूत बनेगा।[1]

ऐसे ही प्रमुख विद्वानों, अर्थशास्त्रीयों एवं समाज शास्त्रीयों के विचारों को ध्यान में रखकर सरकार ने कई प्रयोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों का बहुआयामी विकास किया है।

ग्रामीण विकास विभाग स्व–रोजगार एवं मजदूरी रोजगार के सृजन, निर्धनों के लिए आवास एवं सिंचाई परिसम्पत्ति के प्रावधान, निराश्रितों को सामाजिक सहायता एवं ग्रामीण सड़कों हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन करता हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग, डीआरडीए प्रशासन को सुदृढऋ करने हेतु सहायता, पंचायतीराज संस्थान, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यवाही का विकास आदि का कार्य भी करता हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ऐसा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं, जिसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक व्यस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में एक से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराना, जिसमें निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उपयोग परिसम्पत्तियों का निर्माण हो।

- गरीबों की आजीविकाओं को बढ़ावा देना।
- सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना तथा
- पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

वर्ष 2008 से हर वर्ष औसतन 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों का मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ हैं।

- 31 मार्च, 2014 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 48 प्रतिशत रही हैं। कुल सृजित श्रम दिवसों में महिलाओं के श्रम दिवस 48 प्रतिशत रहे हैं।
- महिलाओं की यह भागीदारी इस अधिनियम में यथापेक्षित 33 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा से काफी अधिक हैं।
- इस कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत 260 लाख कार्य शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम की शुरूआत से प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी 81 प्रतिशत बढ़ी रही हैं। अधिसूचित मजदूरी दरें मेघालय में न्यूनतम 153 रू. से हरियाणा में अधिकतम 263 रू. तक हैं।[3]
- त्वरित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि निगरानी प्रणाली (ईएफएमएस) और इलेक्ट्रानिक मस्टर प्रबन्ध प्रणाली (ईएमएमएस) शुरू की गई हैं।
- इनके अतिरिक्त कामगारों के खातों में आधार समर्थित प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक अंतरण में बैकों और बिजनेस कॉरेस्पेंडेंटों (बी. सी.) के बीच कार्य संचालन का प्रावधान भी हैं।

चुनौतिया

अदृश्य, मौसमी एवं ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की अद्भूत, महात्वाकाक्षी, व्यापक वित्तीय योजना 'मनरेगा' अपने उद्देश्य में सफल रही हैं जैसा कि सम्पूर्ण अध्ययन से ज्ञात होता हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कोई निर्धारित प्रतिशत लाभ व्यवस्था नहीं होने के बावजूद उन्हें अच्छा लाभ मिला हैं। महिलाओं के लिए

एक–तिहाई हिस्सा निर्धारित होने के बावजूद उससे अधिक महिलाओं की भागीदारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहां भारत में उपलब्धियों का ग्राफ ऊपर की ओर गया हैं वही मध्य प्रदेश में उपलब्धियों का ग्राफ नीचे की ओर गया हैं। वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जैसे इसको लागू करने की लाग अत्यधिक होना (40000 करोड़ रू.), स्फीतिकारी शक्तियों का बढ़ना, दोषपूर्ण कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार इत्यादि जिन्हें दूर करना होगा। योजना में पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखनी होगी, तभी य योजना अपने स्वर्णिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। निश्चित ही यह योजना अनुसूचित जाति एंव जनजाति की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर कर उनका आर्थिक उत्थान कर सकेगी। इस सन्दर्भ में आरएस गोयल का मत महत्वपूर्ण हैं कि–

''सरकारी दावों के बावजूद यह एक ऐतिहासिक योजना हैं, इससे सम्भावित लाभों के बारे में संदेह हैं। यदि सही प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते तो ग्रामीण निर्धनों को इस कार्यक्रम से भी कम फायदा मिल पाएगा।

आबादी के बाद गांवों में विकास और वहां के लोगों के लिए कृषि के साथ–साथ रोजगार के दूसरे अवसर जुटाने के उद्देश्य से तरह–तरह की योजनाएं चलाई गई। भारत के गांवों में रोजगार की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे देश की लगभग दो–तिहाई आबादी गांवों में बसती हैं। जाहिर हैं गांवों के लिए रोजगार जुटाए बिना भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का सपना पूरा नहीं हो सकता। रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती हैं उसी गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता हैं। यह सच्चाई स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही गांधीजी ने पहचान ली थी और उन्होंने ग्रामीण स्वराज का नारा दिया था जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्थक काम और अपने आप में आत्मनिर्भर ईकाई के रूप में गांव की कल्पना की गई थी। आजादी के बाद गांवों में विकास और वहां के लोगों के लिए कृषि के साथ–साथ रोजगार के दूसरे अवसर जुटाने के उद्देश्य से तरह–तरह की योजनाएं चलाई गई। भारत के गांवों में रोजगार की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे देश की लगभग दो तिहाई आबादी गांवों में बसती हैं। हालांकि शहरीकरण के विस्तार के कारण ग्रामीण आबादी का अनुपात हाल के वर्षों में कुछ कम हुआ हैं, किन्तु 2001 की जनगणना के आँकड़ो के मुताबिक 72.2 प्रतिशत लोग गावों में तथा 27.8 प्रतिशत शहरों में बसे थे। जाहिर हैं गावों के लोगों के लिए रोजगार जुटाए बिना भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का सपना पुरा नहीं हो सकता।[11]

यह सच हैं कि 2005 में शुरू हुए महात्मा गांधी मनरेगा की शुरूआत के बाद गांवों में रोजगार का स्वरूप बदला हैं और इसके अनेक सकारात्मक परिणाम भी सामने आए किन्तु यह कार्यक्रम एक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हैं जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के उन परिवारों के एक समर्थ व्यक्ति को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं हैं। इसलिए केवल इस कार्यक्रम के भरोसे ग्रामीण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस अनूठे कर्यक्रम से पहले भी समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिनके माध्यम से लोगों को सीधे रोजगार देने के साथ–साथ उन्हें रोजगार प्राप्त करने और अपना काम–धंधा चलाने लायक कौशल व क्षमता प्राप्त करने में सहायता देने के प्रयास किए गए हैं। इन सभी योजनाओं के फलस्वरूप देश की बढ़ती आबादी के अनुरूप नौकरियों और व्यवसायों की व्यवस्था करने में मदद मिली हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत गावों में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सस्ती दरों पर ऋण देने के प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग इस वित्तीय मदद से अपनी क्षमता और हुनर के अनुरूप काम–धंधे चलाकर परिवार का भरण–पोषण कर सकें और गावों के विकास में योगदान दे सकें।

मनरेगा तथा ग्रामीण रोजगार के अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने तथा ग्रामवासियों को इन योजनाओं से लाभ उठाने के कायदे–कानूनों को समझाने के लिए भारत निर्माण सेवकों का कैडर तैयार किया गया हैं। ये स्वयंसेवी कार्यकर्ता गरीब ग्रामीण परिवारों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के तंत्र के बीच कड़ी बनते हैं। भारत निर्माण सेवक ग्रामीण विकास व रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जनचेतना जागृत करने की दिश में भी काम करते हैं।

ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से जो काग्रक्रम सबसे अधिक कारगर और एक तरह से क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ हैं, वो हैं महात्मा गांधी नरेगा। पिछले 7 वर्षों में इस कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी, कारगर और व्यापक बनाने के लिए किए गए सुधारों के फलस्वरूप यह ग्रामीण रोजगार का अनूठा मंत्र और यंत्र बन गया हैं। इसमें नए–नए काम जुड़ते जा रहे हैं जिससे लाभ उठाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं। पहले यह मनरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाने से इसका नाम मनरेगा हो गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 'मनरेगा' 2 सितम्बर, 2005 को अस्तित्व में आया और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 को लागू हो गया। शुरू में यह कार्यक्रम देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007–08 में इसका क्रियान्वयन 330 जिलों तक बढ़ाया गया और 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उल्लेख गांवों के उन परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिलाना हैं जिनके वयस्क सदस्य बेरोजगार हैं और मेहनत–मजदूरी करने को तैयार हैं।

जैसा कि कानून के नाम से स्पष्ट हैं कि इसका मूल मकसद गावों में रोजगार की व्यवस्था करना हैं। लेकिन इसका प्रभाव केवल रोजगार के अवसर सृजित करने तक सीमित नहीं हैं। यह कार्यक्रम असल में ग्रामीण जीवन में क्रांति का अग्रदूत सिद्ध हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना हैं कि मनरेगा हरितक्रांति तथा बैकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों के समान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध हो रहा हैं। बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के साथ–साथ यह गांवों के बुनियादी सोच में भी बदलाव ला रहा हैं। इससे ग्रामीणों में नए तरह का विश्वास व आत्मबल पैदा हो रहा हैं। यह बात इस तथ्य के रूप में प्रमुखता से उजागर हुई हैं कि जिन राज्यों में इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू किया गया हैं वहां गावों से शहरों को पलायन की प्रवृति पर काफी हद तक रोक लग गई हैं। इससे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता ढांचा विकसित हो रहा हैं और न्यूनतम रोजगार का आश्वासन मिल जाने से ग्रामीण लोग बच्चों की शिक्षा, शिशुओं व महिलाओं के स्वास्थ्य, साफ–सफाई जैसे पहलुओं पर ध्यान देने लगे हैं जो पहले प्रायः उपेक्षित रहते थे।

'मनरेगा' की सफलता का एक और आयाम यह हैं कि इसकी बदौलत गावों में विकास कार्यों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही हैं। यह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसे चलाने में पंचायतीराज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा हैं और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़े मजबूत हो रही हैं। इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं जिनमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती हैं। अब सिंचाई कार्यक्रम, जल आपुर्ति तथा पशुपालन जैसे नए कार्य भी मनरेगा में शामिल कर लिए गए हैं। यही नहीं, कानून में यह भी शर्त हैं कि काम के स्थान पर श्रमिकों के लिए पीने के पानी, बच्चों के लिए बाल केन्द्र, आराम करने के लिए शेड आदि की व्यवस्था की जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक हैं कि रोजगार पाने वालों के कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो। इससे ग्रामीण जनता में बचत की आदत को भी प्रोत्साहन मिल रहा हैं। डाकघरों और बैंकों में लाखों की संख्या में खाते खुल गए हैं क्योंकि मजदूरी की राशि सीधे बैंकों और डाकघरों में लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाती हैं।

'मनरेगा' के अन्तर्गत रोजगार देने की प्रक्रिया को यथासम्भव सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया हैं ताकि लोगों का नियम–कायदों के जंजाल से बचाया जा सके और उनका शोषण भी न होने पाए। जो भी ग्रामीण व्यस्क मेहनत–मजदूरी करना चाहते हैं उन्हें ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराना होता हैं। इन उम्मीदवारों की योग्यता आदि की जांच के बाद उन्हें पंचायत कार्यालय से 'जॉबकार्ड' जारी किया गया हैं। जॉबकार्ड एक तरह से श्रमिक की रोजगार पासबुक हैं, जिसमें उसे मिले रोजगार का ब्यौरा दर्ज रहता हैं। इसमें परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के फोटो लगे रहते हैं। जॉब कार्डधारी लोग पंचायत में आवेदन करके सूचित करते हैं कि उन्हें कब और कितने दिन का रोजगार चाहिए। इस प्रकार रोजगार की गारंटी की व्यवस्था लागू हो जाती हैं। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं जुटाया गया हैं तो आवेदन की बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता हैं। यह भी प्रावधान किया गया हैं रोजगार गांव से प्रायः 5 किलोमीटर की दूरी में ही उपलब्ध कराया जाए। इससे अधिक दूर काम पर लगाए जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देना होगा।[17]

रोजगार देने की प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता के प्रावधानों के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कई तरह की खामियों की शिकायतें मिलती रहती हैं। कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा हैं – भ्रष्टाचार। हालांकि श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उपाय किए गए हैं, किन्तु नौकरशाहों और कुछ स्थानों पर पंचायतों के कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के समाचार मिलते रहते हैं। कई बार बेनामी श्रमिकों के मास्टर रोल बनाकर उनके नाम से वेतन का भुगतान कराके ये अधिकारी राशि हड़प जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया हैं कि श्रमिकों से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कोरे कागज पर लिया जाता हैं और श्रमिक के काम पर न आने की स्थिति में भी उसके नाम पर भुगतान ले लिया जाता हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार अन्य सरकारी योजनाओं से भी चल रहा हैं लेकिन इस पर रोक लगाए बिना यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाएगा और देश के गांवों से गरीबी मिटाने का यह सुनहरा प्रयास विफल हो जाएगा। रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की इस बात के लिए भी आलोचना की जाती हैं कि इससे ग्रामीण लोग निठल्ले बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता हैं कि साल में 100 दिन के काम की तो गारन्टी हैं ही। इसलिए वे सोचने लगते हैं कि ज्यादा मेहनत करके कमाई करने की जरूरत नहीं हैं। इसलिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। सूचना के अधिकार के अधिकाधिक इस्तेमाल से इसे लागू करने वाले कर्मियों और पंचायतों के अधिकारियों पर अंकुश लग सकता हैं।

इसके अलावा कानून में ही सोशल ऑडिटिंग यानी सामाजिक निरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया हैं। इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था मनरेगा के रिकॉर्ड की जांच कर सकता हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य हैं कि वे सोशल ऑडिट करने वाली संस्थाओं को अपनी बैठकों में बुलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार तथा महिलाओं को काम पर न रखने के मुद्दों का पर्दाफाश किया हैं। सामाजिक निरीक्षण दलों में राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अथवा समाज के जिम्मेदार लोग शामिल रहते हैं।

मनरेगा तथा ग्रामीण रोजगार के अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने तथा ग्रामवासियों को इन योजनाओं से लाभ उठाने के कायदे–कानूनों को समझाने के लिए भारत निर्माण सेवकों का कैडर तैयार किया गया हैं। ये स्वयंसेवी कार्यकर्ता गरीब ग्रामीण परिवारों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के तंत्र के बीच कड़ी बनते हैं। भारत निर्माण सेवक ग्रामीण विकास व रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जनचेतना जागृत करने की दिशा में भी काम करते हैं। अनेक राज्यों में इन सेवकों की सेवाओं की ग्रामीण विकास की राह सरल बनती दिखाई दे रही हैं जिससे प्रेरित होकर इनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया हैं। इन सेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहन–सहन, सामाजिक जीवन तथा विकास के बारे में बकायदा प्रशिक्षण देने के बाद काम पर रखा जाता हैं। वे गांव वालों को लाभ पहुंचाने के साथ–साथ सरकार को फीडबैक भी देते हैं जिससे रोजगार तथा अन्य कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव व सुधार लाना सम्भव हो जाता हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Avinash, Tyagi. Transparency and Accountability in NREGA - A Case Study of Andhra Pradesh. Centre for Science and Environment, 2009.
2. Narega. Guidelines. Government of India, 2008.
3. Comptroller and Auditor General of India. The Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India, 2013.
4. Comptroller and Auditor General of India. Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Comptroller and Auditor General of India, 2013.
5. Centre for Science and Environment. The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) Opportunities and Challenges. Centre for Science and Environment, 2007.
6. Dobhal H. Writting on Human Rights, Law, and Society in India: A Combat Law Anthology: Selections from Combat Law. 2002-2010. Socio Legal Information Cent, 2011, 240.
7. Singh S. Narega: A positive approach, Case Study in Rural Area of North India. International Journal of Research, 2014.
8. Dreze J. Employment Guarantee as a Social Responsibility. Indian Journal of Labour Economics, 2004, 47(4).
9. Dutta P. Right to Work/ Assessing India's Employment Guarantee Scheme in Bihar. World Bank, 2010.
10. Goetz AM, Jenkins J. Accounts and Accountability: Theoretical Implications of the Right of Information Movement in India. Third World Quarterly,1999:20(3):603-622.
11. Ghildiyal S. More Women opt for Ruraj Job Scheme in Rajasthan. The Times of India, 2006.
12. Khera R. The Battle for Employment Guarantee. Oxford University Press, 2011.

13. Khera R. The Battle for Employment Guarantee. Oxford University Press, 2011.
14. Novotny J, Kubelkova J, Joseph V. A Multi-Dimensional Analysis of the Impact of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme : a tale from Tamil Nadu. Singapore Journal of Tropical Geography,2013:34(3):322-341.
15. The Times of India. PM Directs Planning Commission to Address gaps in NREGA. The Times of India, 2012.
16. The Times of India. CAG finds holes in enforcing MNREGA. The Times of India, 2013.
17. Government of India. Guide Line for Narega. Government of India, 2007.